संचालनालय कोष एवं लेखा म0प्र0
पर्यावास भवन, पंचम तल खण्ड–क भोपाल

क्रमांक / डीटीए / वे.नि.समीक्षा / मार्गदर्शन / 2017 / 143 भोपाल,दिनांक 1-6-2017
प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश।

विषयः–वेतन निर्धारण प्रकरणों का अनुमोदन।
संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / डीटीए / मार्गदर्शन / 86–87 भोपाल दिनांक 11.05.2017

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें वेतन निर्धारण अनुमोदन करने हेतु विभिन्न विभागों से सेवा पुस्तिकाए को स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31 मई 2017 निर्धारित की गई थी। प्रदेश के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा कार्यालयों में सेवापुस्तिकाए वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु बड़ी संख्या में लंबित रहने तथा विभिन्न विभागों से सेवापुस्तिकाए वेतन निर्धारण हेतु निरंतर प्राप्त होने के कारण अब विभिन्न कार्यालयों से वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु सेवापुस्तिकाए प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मई 2017 से बढ़ाई जाकर 30 जून 2017 की जाती है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है की आपके कार्यालय में बडी संख्या में लंबित पडे वेतन निर्धारण के प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से किया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में शीघ्र ही समीक्षा बैठक भी आयोजित की जायगी।

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा कई सेवापुस्तिकाएं आपत्ति के पश्चात् संबंधित विभाग को वापस की गई थी तथा संबंधित विभाग द्वारा आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात् संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा कार्यालय को वापस प्राप्त हो गई हैं ऐसी सेवा पुस्तिकाओं का निराकरण भी 30 जून 2017 तक किया जावे साथ ही ऐसी सेवा पुस्तिकाएं जिन्हें आपत्ति लगाकर संबंधित विभाग को वापस भेजा गया है जो की अभी तक आपत्ति का निराकरण करने के पश्चात् संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई उन सेवापुस्तिकाओं को भी 30 जून 2017 के पूर्व संबंधित विभागों से मंगाया जाना सुनिश्चित करें।

सेवानिवृत्ति,मृत्यु एवं न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित सेवा पुस्तिकाओं को वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु दिनांक 30 जून 2017 के पश्चात् भी विभिन्न विभागों से स्वीकार किया जाना सुनिश्चित करें ।
(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
कोष एवं लेखा

पृ0क्रमांक / डीटीए / वे.नि.समीक्षा / मार्गदर्शन / 2017 / भोपाल,दिनांक
प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2– समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/-
अपर संचालक